न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 63/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादी
हरीराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

वाद वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी
अधीन धारा 136 राज.ले.रे. एक्ट एवं धारा 88 राज. टि.एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 15.05.2017

वादी निम्नलिखित वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादी के कब्जा काश्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1152 रकबा 10.06 बीघा वाके सरहद मौजा ग्वालू तहसील मूण्डवा में स्थित रहता चला आया है, नकल खतौनी साथ पेश है। उक्त पहले सांवताराम पुत्र जेताराम जाट निवासी ग्वालू की खातेदारी की थी जिससे जरिये रजिसट्री बेचान वादी के नाम दर्ज हुई है मगर इसका म्यूटैशन दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर गलती से राधाकिशन वल्द हरीप्रसाद दर्ज कर दिया तथा जाति ब्राह्मण व निवासी ग्वालू सही दर्ज किये, उक्त गलत इन्द्राजी उतरोतर वादी की जानकारी के अभाव में चलती रही जिससे वर्तमान खतौनी में भी वादी का नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर गलत रूप से राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद दर्ज हो रखा है जिसकी दुरूस्ती करवा कर घोषणा हेतु संयुक्त रूप से यह वाद पेश करना आवश्यक हुवा है।

यह है कि वादी ग्रामीण परिवेश का अनपढ किसान व्यक्ति है जो केवल मात्र हस्ताक्षर करना जानता है साक्षर मात्र है पढा लिखा नहीं है व उसे कभी राजस्व रेकर्ड की आवश्यकता नहीं हुई इसलिए उक्त गलत इन्द्राजी की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी हाल ही में वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु खतौनी की आवश्यकता होने पर खतौनी की नकल प्राप्त की तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि तुम्हारा नाम गलत दर्ज हो रखा है जिससे वादी को अब यह वाद वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती व घौषणा खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुवा है।

यह है कि गांव ग्वालू में राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद ब्राह्मण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है उक्त खेत वादी का ही खरीदसुदा कब्जासुद रहा है उक्त राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद गलतफहमी से दर्ज हो रखा है वादी के तमाम दस्तावेजात में नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी ग्वालू दर्ज है संबंधित दस्तावेजात पेश है व उक्त खेत पर एक मात्र वादी का ही कदीम से कब्जा उपयोग उपभोग मालिक की हैसियत से रहता चला आया है इस बाबत वादी पडौसीयों के शपथ पत्र व अन्य वांछित दस्तावेजात आवश्यकता अनुसार पेश करने को तैयार है जो न्यायालय हाजा में यथासमय पेश कर दिये जावेगे। जिससे रेकर्ड की उक्त गलत इन्द्राजी को दुरूस्त कर वादी की खातेदारी घौषणा कर रेकर्ड में सही नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज करने की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

यह है कि वादी के खरीदसुदा कब्जासुद उक्त खेत की खतौनी में वादी का सही नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी को अपने हक स्वामित्व की भूमि बाबत सरकारी योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है व अन्य कानूनी अडचने पैदा होने व इस त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु पटवारी हल्का व तहसीलदारजी को निवेदन करने पर वादी को वाद करके दुरूस्ती करवाने की कानूनी सलाह मिलने से यह वाद पेश करने का कारण खतौनी नकले मिलने की तारीख को सरहद मौजा ग्वालू तहसील मूण्डवा में पैदा हुवा, जिससे अन्दर मियाद वाद पेश है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

यह है कि उक्त भूमि सरहद मौजा ग्वालू तहसील मूण्डवा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद हाजा की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

यह है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पेश किया जा रहा है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि वाद हाजा स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार से सादीर फरमावे कि हाल खसरा नम्बर 1152 रकबा 10.06 बीघा वाके सरहद मौजा ग्वालू तहसील मूण्डवा में गलत दर्ज नाम राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद के स्थान पर वादी का सही नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त के साथ साथ घौषणा खातेदारी की डिक्री सादिर फरमाई जाकर उक्त अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार मूण्डवा को तहरीर जारी करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से दिनांक 28.07.2016 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल खतौनी मौजा गवालू फोटो प्रति म्यूटेशन ग्राम गवालू एवं फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड एवं पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग के पेश किये।

पत्रावली न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र गवालू में दिनांक 15.05.2017 को पेश हुई। वादी हरीराम उपस्थित वादी ने अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर किये। वादी को मजमे आम में सुना गया। खेत खसरा नम्बर 1152 रकबा 10.06 बीघा मौजा गवालू स्थित है। उक्त सांवताराम पुत्र जेताराम जाति जाट निवासी गवालू से वादी ने जरिये रजिस्ट्री बेचान क्रय किया था। वादी ने बाद में इश्तदुआ की कि रजिस्ट्री बेचान के द्वारा जो म्यूटेशन दर्ज किया गया था। उसमें प्रार्थी का नाम हरीराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर गलती से राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद गलत दर्ज कर दिया। अतः वादग्रस्त खसरा नम्बर 1152 रकबा 10.06 बीघा मौजा गवालू में दर्ज खातेदार राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद की जगह हरीराम पुत्र रामचन्द्र का नाम दुरूस्त करावे। पत्रावली में तहसीलदार मूण्डवा ने जवाब प्रस्तुत कर लिखा कि नामान्तरकरण संख्या 252 में राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद का नाम दर्ज है। जो जरिये रजिस्ट्री से दर्ज हुआ है एवं वादी ने रजिस्ट्री की प्रति भी पेश नही की है। अतः वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित नही है। वादी ने जो दस्तावेज पेश किये है। उक्त दस्तावेजात को वादी ने अपने बयानो से साबित नही करवाया है। म्यूटेशन संख्या 252 में भी जरिये रजिस्ट्री बेचान के द्वारा राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद कौम ब्राह्मण कॉलम संख्या 11 में दर्ज साबित है। उक्त खसरा नम्बर 1152 में वादी का नाम जरिये रजिस्ट्री बेचान के राधाकिशन पुत्र हरीप्रसाद दर्ज हुआ है। जिससे दुरूस्त किये जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी का वाद अधीन धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। खारिज का डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 15.05.2017 को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :–

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर
इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
हरीराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

राजस्व वाद 63/2015 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजरी....... ....मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादी का वाद अधीन धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

.... लीज...मुबलिक......... ....बाबत्...............................खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.............................. ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.............................माह........................... सन् 20..............................

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर